निर्वाचन याचिका की सुनवाई की प्रक्रिया

97. (1) उसके सिवाय इस विनियम या इसके लिए निर्मित नियमों के अधीन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में उपलब्ध प्रक्रिया के अलावा दायर किए गए मुकदमा के संबंध में जहाँ तक यह लागू होगा, इसे जिला न्यायाधीश द्वारा निर्वाचन याचिका की सुनवाई में पालन किया जाएगा ।

बशर्ते कि :–

(क) दो या दो से अधिक व्यक्तियों जिनके निर्वाचन को जाँच के दायरे में लिया गया है को उसी याचिका का प्रत्यर्थी बनाया जा सकता है और उनके मुकदमों को एक साथ करने की कोशिश की जाए और किसी दो या उससे अधिक याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जाएगी, लेकिन जहाँ तक संभव हो ऐसे मुकदमा या सुनवाई समनुरूप हो, ऐसे याचिका को प्रत्येक प्रत्यर्थी के लिए अलग याचिका समझी जाएगी ;

(ख) जिला न्यायाधीश को साक्ष्य का पूरा रिकार्ड या रिकार्ड करवाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह मुकदमे पर निर्णय के लिए अपने विचार में पर्याप्त साक्ष्य का ज्ञापन तैयार कर सकता है ;

(ग) जिला न्यायाधीश कार्यवाही के किसी भी स्तर पर याचिकादाता को किसी प्रत्यर्थी द्वारा किए गए सभी खर्च अथवा होने वाले खर्च के भुगतान की प्रतिभूति अथवा आगे की प्रतिभूति का आदेश दे सकता है; और

(घ) जिला न्यायाधीश किसी मुद्दे पर निर्णय के उद्देश्य के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने, ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने, मौखिक अथवा दस्तावेजी जैसा वह आवश्यक समझे, के लिए ही मात्र बाध्य होगा ।

(2) लागत की अदायगी के किसी आदेश, जिला न्यायाधीश द्वारा पारित लागतों के लिए किसी प्रतिभूति बांड की वसूली के कोई आदेश को इसके लिए नियत तरीकों से निष्पादित करना होगा ।

98. (1) यदि किसी याचिका द्वारा किसी व्यक्ति के संबंध में जिसका चुनाव के सम्बन्ध में सवाल उठाया जाता है तो जिला न्यायाधीश अपने आवश्यकता के अनुसार जाँच करने के पश्चात उनके निर्वाचन को वैध पाता हो तो लागत सहित उस व्यक्ति के खिलाफ याचिका को खारिज़ कर देगा ।

(2) यदि जिला न्यायाधीश यह पाता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध था तो वह:–

(क) अनियत रिक्ति होने की घोषणा करना होगा; या

(ख) दूसरे उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित करना, जितना भी समय लगा, मामलों के विशेष परिस्थिति में, जो अत्यधिक उचित हो, तथा दूसरे मामले में जिला न्यायाधीश अपने विवेक से खर्च दिला सकेगा ।

(3) जिला न्यायाधीश द्वारा अनियत रिक्ति की घोषणा करने की स्थिति में चुनाव आयोग को रिक्ति को भरने की कार्यवाही करने का निर्देश देना होगा ।

निर्वाचन से बचना

99. (1) धारा 99 में कोई भी तथ्य न होने पर भी यदि जिला न्यायाधीश का मत है कि किसी निर्वाचन याचिका की सुनवाई के दौरान प्रश्नगत निर्वाचन कार्यवाही पर हुई धांधली का साक्ष्य द्वारा खुलासा करने पर सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यवाही को अलग कर वह निर्वाचित घोषित प्रत्येक उम्मीदवार जिन्हें पहले इस मुकदमा में पार्टी नहीं बनाया गया है, को इस संबंध में प्रतिबंधित आदेश पारित करेगा तथा इसका नोटिस देगा और उस उम्मीदवार को कारण बताएगा कि क्यों यह प्रतिबंधित आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता ।

(2) उसके बाद प्रत्येक ऐसा उम्मीदवार पेश हो सकता है और कारण बता सकता है और उसे तथा किसी गवाही जो उस मामले में शामिल है, को पुनः बुला सकता है ।

(3) जिला न्यायाधीश तदपश्चात् या तो उस प्रतिबंधित आदेश को रद्द कर देगा अथवा उसे ठीक ठहराएगा और ऐसे मामले में वह चुनाव आयोग को नए सिरे से निर्वाचन कार्यवाही आयोजित करने का निर्देश देगा ।